राजस्थान सरकार

संस्था के दिनांक 6/5/2009 को नियम संशोधन सहित संशोधित विधान पंजीकृत किये गये।

रजिस्ट्रार संस्थाएँ
नागौर

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 5/नागौर/1996-97

जनहित सेवा संस्थान-सीगड़

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री दरीराम बाबा नवयुवक मण्डल सेवा समिति सिगड़ जिला नागौर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 9-4-96 माह अप्रेल सन् एक हजार नौ सौ छिन्नवे को नागौर में दिया गया।

9/4/96
रजिस्ट्रार संस्थाएं
रजिस्ट्रार संस्थाएं
नागौर
[illegible]

आनन्द प्रिन्टर्स, काठड़िया चौक, नागौर (राज०) — 2396

भारत सरकार
कार्यालय
आयकर आयुक्त-द्वितीय
आयकर भवन
पावटा सी रोड, जोधपुर - 342 010

आदेशः-

विषय- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए(ए) के अधीन न्यास/संस्था का पंजीकरण, **जनहित सेवा संस्थान, ग्राम-सिंगड़, जिला-नागौर ।**

,,,

प्रार्थी जो न्यास विलेख/मेमोरेंडम ऑफ एसोसियेशन दिनांक 09/04/1996 के अधीन गठित है समिति/संस्था/ट्रस्ट ने को निर्धारित प्रारूप फार्म 10ए में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए(ए) के अधीन पंजीकरण के लिए दिनांक 29/10/2010 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जो कि निर्धारित समयावधि में नहीं है।

अतः न्यास/संस्था का पंजीकरण दिनांक 29/10/2010 से प्रभावी होगा।

इस कार्यालय द्वारा बनाया गया रजिस्ट्रार धारा 12ए(ए) के अन्तर्गत संस्था/समिति/ट्रस्ट को कम संख्या ......80/21...... पर दर्ज कर लिया गया है।

आयकर आयुक्त -II जोधपुर

(बी॰ पी॰ जैन)
आयकर आयुक्त-द्वितीय
जोधपुर

कमांक आ.आ.-II/जो./2010-11/ 2837

दिनांकः- 14 /02/2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. अध्यक्ष/न्यासी/सचिव **जनहित सेवा संस्थान, ग्राम-सिंगड़, जिला-नागौर ।**
2. अपर आयकर आयुक्त रेन्ज-नागौर।
3. आयकर अधिकारी वार्ड-1, नागौर को निर्देश दिए जाते है न्यास/संस्था/समिति द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी की स्वयं जॉच-पड़ताल करें कि धारा 12ए(ए) तथा प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों एवं शर्तो को निरन्तर पूरा करता है या नहीं, यदि निर्देशों एवं शर्तो को पूरा नही करता है तो आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करे।

(पुष्पा राजपुरोहित)
आयकर अधिकारी (तक.)
कृते आयकर आयुक्त-द्वितीय
जोधपुर

भारत सरकार
कार्यालय
आयकर आयुक्त–द्वितीय
आयकर भवन
पावटा सी रोड, जोधपुर – 342 010

आदेशः– 133/69

विषय– आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के अधीन छूट

दानदाताओं द्वारा **जनहित सेवा संस्थान, ग्राम–सिंगड़, जिला–नागौर** को दिये गये दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत उक्त धारा में निहित सीमाओं तथा शर्तो के साथ आयकर से छूट के योग्य होंगे।

यह छूट दिनांक 29/10/2010 से निम्नाकिंत शर्तो के साथ मान्य होगी।

1 दानदाताओं को दी जाने वाली रसीदों पर इस आदेश की संख्या व दिनांक अंकित किया जावे साथ में रसीद पर पान (PAN) संख्या भी छपाई जाये।
2 आय एवं व्यय के लेखा विवरण, चिट्टा इस मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में प्रकरण आता है सालाना प्रस्तुत किया जावे।
3 यदि संस्था के संविधान/विधान के पठन में कोई संशोधन किया जाता है तो इसकी जानकारी इस कार्यालय को तत्काल दी जाए।
4 न्यास/संस्था को दी गई दान की राशि के लिए दानदाता आयकर अधिनियम की धारा 80जी के प्रावधानो/शर्तो/सीमाओं के अनुसार छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे।

आयुक्त –II
जोधपुर

(बी॰ पी॰ जैन)
आयकर आयुक्त–द्वितीय
जोधपुर

नोटः– इस प्रमाण–पत्र के आधार पर न्यास को अपने कर निर्धारण के समय छूट प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। निर्धारण अधिकारी यह जॉच पड़ताल करें कि निर्धारित/न्यास आयकर अधिनियम की धारा 2/15 के प्रावधानों के अनुसार धर्मार्थ (चेरिटेबल) है या नहीं और धारा 11,12, 12ए और 13 में उल्लिखित शर्ते पूर्ण करता है या नहीं।

कमांक आ.आ.–।।/जो./2010–11/ 2838 दिनांकः– 14 /02/2011
प्रतिलिपि सूचनार्थ

4. अध्यक्ष/न्यासी/सचिव **जनहित सेवा संस्थान, ग्राम–सिंगड़, जिला–नागौर ।**
5. अपर आयकर आयुक्त, रेन्ज, नागौर।
6. आयकर अधिकारी वार्ड– 1 नागौर को निर्देश दिए जाते है इस मामले में न्यास/संस्था/समिति द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी की स्वयं जॉच–पड़ताल करें कि धारा 80 जी तथा प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों एवं शर्तो को निरन्तर पूरा करता है या नहीं, यदि निर्देशों एवं शर्तो को पूरा नही करता है तो आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करे।

पुष्पा

(पुष्पा राजपुरोहित)
आयकर अधिकारी (तक.)
कृते आयकर आयुक्त–द्वितीय
जोधपुर